न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 83 / 2017 अपील (RCMS/2017/00094)
पंजीयन दिनांक — 28.06.2017
निर्णय दिनांक — 23.04.2019

1. श्री गौरीशंकर नागदा पिता श्री डालचन्द्र नागदा, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री रमेश नागदा पिता श्री रोशनलाल नागदा, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री मांगीलाल पिता श्री मोतीलाल कुम्हार, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्री रामचन्द्र पिता श्री उदयलाल कुम्हार, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. श्री शम्भुशंकर नागदा पिता श्री देवीलाल नागदा, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. श्री जीवनलाल पिता श्री भैरा गायरी, निवासी कालारोही, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
7. श्री मांगीलाल पिता श्री भग्गा गायरी, निवासी कालारोही, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
8. श्री नाथुलाल पिता श्री मोहन गायरी, निवासी कालारोही, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
9. श्री खेमराज पिता श्री कन्ना गायरी, निवासी कालारोही, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
10. श्री कुका पिता श्री वजा गायरी, निवासी कालारोही, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

— अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री दुर्गादास पिता श्री नरपतसिंह चुण्डावत, निवासी कालारोही, मगरी वाला होटल देवरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती ज्योति कुमारी पत्नि श्री दुर्गादास चुण्डावत, निवासी कालारोही, मगरी वाला होटल देवरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव।

— रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – वकील अपीलान्ट
2. श्री शरद दशोरा – वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 2
3. श्री पंकज भटनागर – वकील रेस्पोडेंट संख्या–3

प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय क्रमांक नियमन/नविप्र/2009/174–175 दिनांक 21.07.2009 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 23.04.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा द्वारा पारित निर्णय क्रमांक नियमन/नविप्र/2009/174–175 दिनांक 21.07.2009 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

- राजस्व ग्राम कालारोही (सीसारमा), तहसील गिर्वा के आराजी नम्बर 1052/1, 1054, 1055, 3532, 3533, 3539/1 कुल किता–6 रकबा 1.0650 हैक्टर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2 ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर समक्ष खातेदार अधिकार समर्पण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

- प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अन्तर्गत कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि प्रयोजनार्थ दिनांक 21.07.2009 को आदेश पारित किया गया।

- तत्पश्चात नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उपरोक्त आराजीयात के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 के पक्ष में रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख दिनांक 28.03.2011 को जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2009 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 16.04.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा कालारोही, पटवार मण्डल सीसारमा की उपरोक्त आराजीयात की भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 के नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व रेकर्ड में खातेदारी के रूप में अंकित थी जिसको उन्होनें 90क हेतु रेस्पोडेंट संख्या–3 के यहा समर्पण की और न्यास द्वारा बिना वास्तविकता की जानकारी लिये महज रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 के कयासी आधारों पर विश्वास कर 90–क की कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी का सम्पूर्ण अवलोकन नहीं किया और उक्त भूमि में से आराजी नम्बर 1054 पर सम्पूर्ण देवरा भेरूजी का बना हुआ है जो सार्वजनिक स्थान है, वहा मूर्तिया स्थापित कर रखी है और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जो किसी का निजी नहीं है। उसके पास ही कुछ भूमि आराजी नम्बर 1055 पर सराय भी बनी हुई है जिसमें धार्मिक लोग उठते बैठते है जो भूमि स्थान देह की है इसलिए उक्त भूमि की 90क की कार्यवाही नहीं हो सकती है क्योंकि धारा–90क में स्पष्ट प्रावधान है कि मन्दिर, मूर्ति, जलाशय, रेल्वे लाई एवं अन्य किस्म की भूमियां जिनकी 90क नहीं हो सकती है। राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1054 देवरा भैरूजी अंकित है तथा 1055 देवरा मगरी अंकित है एवं आसपास की सभी जमीन देवरा वाली जमीन के नाम से ही जानी जाती है, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 ने रेस्पाडेंट संख्या–3 से मिलीभगत कर देवरा अंकित नहीं करवाया और उक्त भूमि को अपने खातेदारी की बताकर उसकी 90क की कार्यवाही करवा दी जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से शून्य एवं निष्प्रभावी है।

उक्त भूमि की 90क की कार्यवाही किये जाने में कई सारी वास्तविक तथ्यों एवं वास्तविकताओं को छिपाया गया है। न्यायालय हाजा तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से रिपोर्ट तलब की गई परन्तु उनके द्वारा नुमाईशी रिपोर्ट बना कर भेजी जिस पर आप न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा से भी मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें भी आराजी नम्बर 1054 पर भैरूजी का देवरा होने का अकंन किया गया है। यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर सार्वजनिक देवरा बना हुआ है और भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की है। ऐसी भूमि का आवंटन व 90क की कार्यवाही नहीं हो सकती है। विधि में मंदिर मुर्ति की भूमि/सार्वजनिक हित की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16(4)(6) में स्पष्ट है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–46 अनुसार देवता/प्रतिमा प्रास्थिति में वर्णन किया है जिसके अनुसार देवता शाश्वत नाबालिग है और उसके हितों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है उसकी भूमि का अंतरण नहीं हो सकता है और न ही भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी ही मिल सकते है और ऐसी खातेदारी कभी भी निरस्त की जा सकती है। उक्त भूमि पर कब्जा मंदिर मुर्ति का है और मंदिर मुर्ति विद्यमान है। आवंटित भूमि उसके कब्जे आधिपत्य में है तो ऐसी स्थिति में मंदिर मूर्ति के अलावा किसी अन्य को आवंटित नहीं हो सकती है और आवंटित होती है तो वह विधिक दृष्टि से शुन्य एवं निष्प्रभावी है।

रेस्पाडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा अपीलार्थीगणों एवं गांव वालों को देवरे की पूजा अर्चना करने से रोकते है, बाधा उत्पन्न करते है। रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा उक्त भूमि के पट्टे जारी होने की बात कही गई जिससे रेस्पोडेंट संख्या–3 के कार्यालय में पता किया जो उक्त

आदेश की जानकारी हुई और नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अपील के साथ मयाद कन्डोन किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, परन्तु उक्त भूमि पर सार्वजनिक भैरूजी का देवरा है, जो पक्का बना हुआ जिसकी हमेशा सेवा पुजा होती है। अपीलार्थीगण अपने पूजा सेवा के अधिकार से वंचित हो रहे है एवं ग्राम के लोग भी वंचित हो रहे है इसलिए अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रभावित है और पीड़ित है। इसलिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 जा.दी. का भी पेश किया गया है जिसके स्वीकार फरमाया जावें।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का आदेश दिनांक 21.07.2009 निरस्त फरमाया जावें। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत – आर.आर.डी. 1984 पेज 1, आर.आर.डी. 1986 पेज 238, ए.आई.आर. 1957 पेज 133 प्रस्तुत किए है।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त अपील बिना किसी आधार पर रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 से उसके स्वामित्व एवं खातेदारी से बेदखल करने एवं परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की गई जबकि कथित भूमि जिसके किनारे पर देवरा ग्राम कालारोही के गाडरी समाज के लोगों से सम्बन्धित भगवान का खुला देवरा पूर्व खातेदारों की सहमति से इजाजतन बनाया गया था और जबकि उक्त भूमि पूर्व खातेदारों की स्वयं की एवं पुश्तैनी थी, देवरे के चबुतरे इत्यादि को हटाकर अन्यत्र स्थापित करने तक के अधिकार कालारोही गांव के गायरी समाज के लोगों को है। प्रार्थीगण जो कि गांव सीसारमा के प्रभावशाली व्यक्ति है, जो अपना राजनैतिक प्रभाव जमाने एवं विपक्षीगण के रिसोर्ट को देवरे के नाम से हथियाने एवं अपने रिपोर्ट से बेदखल करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की जो निरस्त योग्य है।

उक्त देवरें की भूमि सार्वजनिक नहीं है और न ही देवस्थान की भूमि है। देवरे तक आने जाने का सार्वजनिक रास्ता नहीं है, उक्त भूमि पर आने जाने हेतु गायरी समाज के लोगो द्वारा कच्चे रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है। उक्त रास्ते के बारे में उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा उक्त भूमि क्रय करते वक्त भी ऐसा कोई रास्ता मौके पर देवरे तक जाने का अलग से निर्धारित नहीं था। न ही किसी व्यक्ति, देवस्थान अथवा सार्वजनिक हित एवं स्वामित्व उक्त देवरे से सम्बन्धित आराजी 1054 पर नहीं रहा है, सदियों से यह भूमि तत्समय के खातेदारों के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चलती रही जो विक्रय विरासत आदि से हस्तान्तरित होते हुए वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 की क्रयशुदा भूमि है जो भूमि क्रय करने के पश्चात् से लेकर रिसोर्ट के प्रयोजन हेतु नियमित/संपरिवर्तित करवाने तक एवं आज भी रेस्पोडेंट

संख्या–1 व 2 के स्वामित्व व आधिपत्य में है। आराजी संख्या–1055 पर सराय नहीं बनी होकर पूर्व में कृषि भूमि के रहते वर्ष 1992 में रेस्पोडेंट द्वारा अपने परिवार के निवास हेतु बनाये हुए मकान एवं छायादार बैठने की व्यवस्था हेतु अपने खर्चे से किया गया निर्माण है। इस प्रकार दोनों की आराजी की भूमियां एवं किया गय निर्माण रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 का व्यक्तिगत है, सम्बन्धित समाज का व्यक्ति उनकी अनुमति लेकर उनके बताये गये रास्ते से आ जा कर, उक्त देवरे पर पूजा अर्चना कर सकता है। कालारोही गांव से बाहर के लोगों द्वारा उक्त देवरे के स्थान पर असामाजिक गतिविधियां की जाती है, वर्तमान में उक्त देवरें के पुजारी के साथ मारपीट की गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। अपीलार्थीगण उक्त देवरे पर आने जाने हेतु निजी खातेदारी जमीन पर कब्जा करना चाहते है जो अनुचित है। रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा अपनी सम्पूर्ण राशि उक्त जमीन पर रिसोर्ट बनाने एवं उसके संचालन में खर्च की है जिसे अपीलार्थीगण हथियाना चाहते।

अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। वह धारा–90–क(9) के अनुसार एग्रीव्ड व्यक्ति होना आवश्यक है, जब तक एग्रीव्ड व्यक्ति नहीं हो अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील इसी आधार पर काबिल निरस्त के है।

जिन आराजीयात के संबंध में धारा 90–क के कार्यवाही की गई है। उनसे अपीलान्ट का दूर दूर तक कोई संबंध नही है। उन आराजीयात के संबंध में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार ही नही है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 जा.दी. का भी निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए वादग्रस्त भूमियों का संयुक्त मौका निरीक्षण करा रिपोर्ट प्राप्त की गई। अखबार में प्रकाशन कराया गया जिस पर वर्तमान के अपीलार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में सभी तथ्यों का पूर्ण विवेचन किया गया हैं, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्लेषण कर आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को आरम्भ से ही थी, परन्तु जानबुझकर अपील का अधिकार नहीं होते हुए भी देरी से अपील प्रस्तुत की जिसके पर्याप्त कारण नहीं होने से अपील मयाद के बिन्दु पर ही निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा नियमानुसार धारा 90–क की कार्यवाही की गई, जिसमें किसी भी प्रावधान की अनदेखी नहीं की गयी है। जो जमीन संपरिवर्तित की गई है तथा उसके पट्टे अनुमोदित प्लान के अनुसार जारी किए गए है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–3 ने वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 2 तक के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुए बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा 90–क की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया, उसमें कोई चुक भी नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परिक्षण कर आदेश पारित किया गया है। प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यास द्वारा पारित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–90क के तहत आवेदकों के स्वयं की अंकित खातेदारी में अंकित भूमि के संबंध में आदेश दिनांक 21.07. 2009 पारित किया गया। अपीलार्थीगण प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति नहीं है और न ही उन्हे अपील पेश करने का अधिकार है। विवादित भूमि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर पारित आदेश दिनांक 21.07.2009 बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की लिखित एवं मौखिक बहस व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर ससम्मान मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम कालारोही (सीसारमा), तहसील गिर्वा के आराजी नम्बर 1052/1, 1054, 1055, 3532, 3533, 3539/1 कुल किता–6 रकबा 1.0650 हैक्टर कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा खातेदार श्री चेनाराम से 18.02.1992 को क्रय की, उक्त भूमि में आराजी संख्या 1054 पर देवरा अंकित है। उक्त विक्रय पत्र में श्री चेनराम द्वारा यह कथन किया गया कि उक्त भूमि पर दीगर किसी व्यक्ति को कोई हिस्सा व हित नहीं है, इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि को कोई भी हिस्सा सार्वजनिक अथवा मंदिर मूर्ति के नाम से दर्ज नहीं है। उक्त विक्रय के उपरान्त से ही उपरोक्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर उनके कब्जे आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त खातेदारी भूमि का धारा–90क भू–राजस्व अधिनियम में तहत रिसोर्ट प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराने बाबत रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा तहसीलदार, गिर्वा से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, गिर्वा द्वारा पत्र दिनांक 19.12.2008 से पटवारी से जांच करा अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त पत्र के साथ पटवारी के रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मन्दिर माफी, देवस्थान विभाग, सार्वजनिक ट्रस्ट, किसी धार्मिक या चेरिटेबल संस्थान अथवा वक्फ की सम्पत्ति नहीं है। उक्त रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि/आवेदित भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 की खातेदारी होना बताया गया। पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ उक्त आराजीयात की वर्तमान राजस्व रेकार्ड की स्थिति दर्शित जमाबन्दीयों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। उक्त जमाबन्दी में उक्त देवरा रेस्पाडेंट संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज किया गया अंकित है।

धारा–90क में प्रावधानों अनुसार नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आवेदित भूमि के सम्बन्ध में प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई। उक्त प्रकाशन पर वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आवेदित भूमि के रूपान्तरण से पूर्व सम्बन्धित अधिकारियों से

रिपोर्ट प्राप्त की गई और वर्तमान राजस्व रेकार्ड की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिनांक 21.07.2009 अन्तर्गत धारा–90क भू–राजस्व अधिनियम पारित किया गया। पर्यटन विभाग, जयपुर द्वारा भी पत्र दिनांक 02.02.2010 से उक्त आराजीयात समेत कई आराजीयात पर पर्यटन ईकाई की स्थापना हेतु भूमि संपरिवर्तन के लिए प्रोजेक्ट अनुमोदित कर अनापत्ति जारी की गई। वर्तमान में उक्त भूमि पुनग्रर्हण आदेश से नगर विकास प्रन्यास में निहित होकर रिसोर्ट प्रयोजनार्थ पट्टे जारी हो चुके है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली के अवलोकन से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा–90क दिनांक 21.07.2009 पूर्णतया विधि सम्मत, नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, राजस्व रेकार्ड की स्थिति को देखते हुए एवं सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त जांच रिपोर्ट उपरान्त पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

उपरोक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः आराजी संख्या–1054–देवरा सम्बन्धित भूमि पर खातेदारी अधिकार एवं पुर्नग्रहण आदेश जारी करने पर आपत्ति की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 02.04.2019 अनुसार ''मौके पर देवरा सहित कुल 1730 वर्गफीट भूमि होना पाया गया है। मौके पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है एवं मौतबिरानों ने जाहिर किया की देवरे में नियमित सेवा पूजा की जा रही है। मौके पर कालारोही बस्ती से देवरे तक आने जाने हेतु कच्ची पगडंडी उपलब्ध है।'' यहा इस तथ्य में कोई संशय नहीं है कि आराजी संख्या–1054 पर देवरा बना हुआ है, परन्तु पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मन्दिर माफी, देवस्थान विभाग, सार्वजनिक ट्रस्ट, किसी धार्मिक या चेरिटेबल संस्थान अथवा वक्फ की सम्पत्ति नहीं है। राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि निजी खातेदारी में चली आ रही है। न ही किसी व्यक्ति, देवस्थान अथवा सार्वजनिक हित एवं स्वामित्व उक्त देवरे से सम्बन्धित आराजी 1054 पर नहीं रहा है, वर्षो से यह भूमि तत्समय के खातेदारों के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चलती रही जो विक्रय विरासत आदि से हस्तान्तरित होते हुए वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 की क्रयशुदा भूमि है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त आराजी की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संधारित की गई है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होने के सम्बन्ध में किए गए कथन सुसंगत नहीं है तथा खातेदारी सम्बन्धी अधिकार इस स्तर पर तय करना इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नही है क्योंकि उक्त भूमि रिसोर्ट प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर, नगर विकास प्रन्यास में निहीत होकर पट्टे जारी हो चुके है।

जहां तक अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने का प्रश्न है, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 का पेश किया गया जिस पर अधिवक्ता रेस्पोडेंटस् द्वारा आपत्ति जाहिर करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। वह धारा–90–क(9) के अनुसार एग्रीव्ड व्यक्ति होना आवश्यक है, जब तक एग्रीव्ड व्यक्ति नहीं

Web Copy - Not Official

हो अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, उक्त भूमि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। अधिवक्ताओं द्वारा प्रार्थना पत्र 96 जा.दी पर की गई बहस पर मनन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–90क के तहत थर्ड व्यक्ति को अपील पेश करने का अधिकार नहीं होना माना। प्रश्नगत अपील में तृतीय पक्ष व्यथीत नहीं हो सकता क्योंकि न उनके पक्ष में कोई आदेश पारित किया गया न ही उनके विरूद्ध। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त आराजी संख्या 1054 व अन्य के खातेदारी अधिकारो के सम्बन्ध में भी दाद चाही गई है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अपीलार्थी सक्षम न्यायालय वाद दायर कर दाद प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 जा.दी. स्वीकार योग्य नहीं है। इन्ही परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम भी स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त देवरे के मुल स्वरूप व वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जावें। देवरे में की जा रही पूजा–अर्चना पूर्ववत की जावें एवं उसमें व्यवधान नहीं किये जावें।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं विस्तृत विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय क्रमांक नियमन/नविप्र/2009/174–175 दिनांक 21.07.2009 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official